CRCMS no. → 2022/116

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 20)

अज अदालत जिला कलेक्टर मुकाम कोटा

राधेश्याम वगै0 **बनाम** *हरिशंकर वगै0*

किस्म मुकदमा – अपील संख्या 30/2017 अपील अन्तर्गत धारा 75 एल0आर0एक्ट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 सी.पी.सी.

प्रकरण संख्या 53 वर्ष **2022**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07-06-2022	अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी.पी.सी. के प्रस्तुत किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें । वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किा है कि उक्त उनवानी की एक अपील में न्यायालय के द्वारा निस्तारण करते हुए दिनांक 10.5.2022 को निर्णय पारित किया है । उक्त वर्णित निर्णय दिनांक 10.5.2022 में टंकण त्रुटि से रेस्पोडेन्ट 1/5 विनोद कुमार आत्मज हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा का नाम निर्णय में अंकित नहीं हुआ है । उक्त वर्णित त्रुटि फेस ऑन द रिकॉर्ड है जिसे न्यायहित में संशोधित करना आवश्यक होने से निर्णय दिनांक 10.5.2022 में संशोधन करने व रेस्पोडेन्ट 1/5 विनोद कुमार आत्मज हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा पक्षकार को बहैसियत रेस्पो0 क्रम 1/5 के रूप में अंकित करने के आशय का आदेश प्रदान करने का श्रम करावें । हमने मूल पत्रावली का अवलोकन किया जिस अनुार अपील मेमों में रेस्पोडेन्ट नं0 1/5 के रूप में विनोद कुमार आत्मज श्री हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा अंकित है जबकि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.5.2022 में रेस्पो0 नं0 1/5 का नाम सहवन से टंकण भूलवश अंकित नहीं हो पाया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा की अपील सं0 30/2017 निर्णय दिनांक 10.5.2022 के उनवान में रेस्पोडेन्ट नं0 1/5 के रूप में **"विनोद कुमार आत्मज श्री हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा"** स्थापित किया जाता है, इसी अनुरूप मूल निर्णय दिनांक 10.05.2022 में पढ़ा जावें । प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर मूल निर्णय के साथ संलग्न किया जावें । 7/6/2022 **जिला कलेक्टर** **कोटा**	

कार्यालय जिला कलेक्टर कोटा

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– हरि मोहन, I.A.S.

प्रकरण संख्या –30/2017 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2017/00065

1. राधेश्याम आत्मज हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरण्डखेड़ा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. सत्येन्द्र कुमार आत्मज हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. हरिशंकर आत्मज घांसी जाति ब्राह्मण मृतक जर्ये कायम मुकामान
   1/1 प्रेमबाई धर्मपत्नि श्री हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरण्डखेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
   1/2 रूकमणी बाई धर्मपत्नि श्री रामनिवास पुत्री हरिशंकर जाति ब्राह्ण सेवानिवृत्त अध्यापक निवासी ग्राम व पोस्ट लेसरदा, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी
   1/3 राधा शर्मा धर्मपत्नि श्री नगेन्द्रा पटोदा वाले पुत्री हरिशंकर जाति ब्रह्मण निवासी करोली नाका चुंगी के पास हिन्डौन सिटी
   1/4 अनिता शर्मा धर्मपत्नि श्री अर्जुन पुरोहित पुत्री हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम व पोस्ट मिश्रोली तहसील पचपाड जिला झालावाड़–(राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

–––रेस्पोडेन्ट.

न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 3.3.2017 सपठित इंतकाल नम्बर 1601 की अप्रसन्नता से अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम

उस्थिति

1. श्री गोपालदत्त शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 नं0 1/1 लगायत 1/5
2. श्री बृजराज सिंह चौहान राजकीय अभिभाषक, रेस्पो0 नं0 2

निर्णय

दिनांक– 10.05.022

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा विनोद पुत्र स्व. श्री हरिशंकर शर्मा द्वारा पंजीकृत वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने का आवेदन पेश करने पर आदेश दिनांक 3.3.

जिला कलेक्टर
कोटा

2017 से वसीयत की सुनवाई कर आवेदन स्वीकार कर आदेश दिये कि– वसीयत अनुसार ग्राम अरण्डखेडा की आराजी ख0नं0 1469 व 1470 रकबा 3.45 हे0 पर मृतक खातेदार हरिशंकर के स्थान पर आवेदक विनोद कुमार का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें । उक्त आदेश की पालना में इन्तकाल संख्या 1601 दर्ज कर स्वीकार किया गया ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 23.05.2017 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के साथ दिनांक 23.5.2017 को पेश की गई है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को न तो समुचित सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया और न ही सुनवाई हेतु अपीलान्टान के नाम कोई नोटिस ही प्रदान किया गया है। इस प्रकार अपीलान्टान को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1/5 के नाम इंतकाल तस्दीक करने का आदेश प्रदान कर दिया जबकि ग्राम अरण्डखेड स्थित आराजी खसरा नम्बर 1469 व 1470 कुल रकबा 3.45 हे0 आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक आराजी है जो अपीलान्ट के पिता हरिशंकर जी को अपने पिता घांसीलाल जी के स्वर्गवास के उपरान्त प्राप्त हुई है जिसमें अपीलान्टान का जन्म सिद्व अधिकार एवं स्वत्य निहित है । जिसके संबंध में अपीलान्टान द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा में वाद घोषणा खातेदारी एवं इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा है जिसमें अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान के अधिकार एवं स्वत्व का निस्तारण होना है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने नियमित जेरकार वाद के तथ्यों को रिकार्ड पर लिये बिना ही आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है । अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्टा को समुचित सुनवाई एवं अवसर प्रदान कर अपीलान्ट के पक्ष में इंतकाल तस्दीक किये जाने के आदेश प्रदान करें ।

3. अपील पेश होने पर रेस्पोडेन्टगण की जरिये सम्मन तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री गोपाल दत्त शर्मा एडवोकेट उपस्थित । रेस्पो नं0 2 सरकार की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित । अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए । अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट को रूकरूक कर आवांजे लगवाई गई इसके बावजूद कोई उपस्थित नहीं होने से वकील रेस्पोडेन्ट की प्रार्थना पर वकील रेस्पोडेन्ट की बहस सुनी गई । तथा अपीलान्ट को आदेश की तारीख 10.5.2022 तक लिखित बहस पेश करने का न्यायहित में अवसर दिया गया, इसके बावजूद अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट आज दिनांक 10.5.2022 तक उपस्थित नहीं हुए । ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस अनुसार अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित समझते है ।

4. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्ययालय द्वारा पारित आदेश विधि और न्याय निर्णय के आधार पर पारित किया गया है, इस आधार पर अपीलान्ट की प्रस्तुत अपील स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

क्यांकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.4.1998 को दो गवाहों के समक्ष उप पंजीयन कार्यालय कोटा में पंजीकृत के आधार पर नियमानुसार समस्त दस्तावेजों का अवलोकन करने पश्चात विधि अनुसार आदेश पारित किया गया है । ग्राम अरण्डखेडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1469 व 1470 कुल रकबा 3.45 हे0 आराजी मृतक हरिशंकर द्वारा उक्त आराजीयात को अपनी स्वयं की आय से 18.9.39 मिसल नम्बर 576 के पुराने खसरा नम्बर 1112 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा आराजी 20/– नीलामी में क्रय की थी, इस कारण से इसके वर्तमान खसरा नम्बर 1469, 1470 है । यह पैतृक आराजी नहीं है, बिना जानकारी के अपील में यह तथ्य अंकित किये गये है । इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 5 के नाम जो इन्तकाल खोला गया, वह वैधानिक रूप से खोला गया था , जिसमें 1/1 जो कि मृतक की पत्नि है, 1/3, 1/4 राधा शर्मा व अनिता शर्मा दौनों मृतक की पुत्रियां है । इनके पिता व पति के जीवन काल में स्वयं द्वारा खरीद की गयी आराजी जो वसीयत 1/5 के पक्ष में अर्थात विनोद कुमार के नाम की गयी है वह सही की गयी है जो इंतकाल खोला गया है वह भी सही खोला गया है, इसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है । अपीलान्टगणों का उक्त आराजीयात से किसी भी रूप में पैतृक आराजीयात का सम्बन्ध नहीं होने के कारण स्वतः ही अपील खारिज किये जाने योग्य है । अपीलान्टगणों द्वारा रेस्पोडेन्ट नं0 1/1 व 1/3 लगायत 1/5 के पति व पिता स्वर्गीय हरिशंकर जी के जीवनकाल में कभी भी आकर माता पिता की सुध नहीं ली और न ही हारी बीमारी में इलाज ही करवाया गया, न ही सेवा सुश्रषा की , न ही मृतक के 12 दिन का क्रिया कर्म किया गया, मात्र रेस्पोडेन्टों को परेशान करने की गरज से उपरोक्त अपील प्रस्तुत की गयी है इसलिये स्वतः ही खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 3.3.2017 एवं नामा0 सं0 1601 के विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.05.2017 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने हेतु लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

6. अपीलान्ट एवं वकील अपीलान्ट दौराने बहस उपस्थित नहीं हुए ओर ना ही अब तक कोई लिखित बहस प्रस्तुत की गई है किन्तु न्यायहित को ध्यान में रखते हुए इस अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना उचित मानते है । अपील मेमों में अपीलान्ट का मुख्य कथन की उपरोक्त विवादित भूमि ग्राम अरण्डखेडा स्थित आराजी खसरा नम्बर 1469 व 1470 कुल रकबा 3.45 हे0

जिला कलेक्टर
कोटा

आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रक आराजी है जो अपीलान्ट के पिता हरिशंकर जी को अपने पिता घांसीलाल जी के स्वर्गवास के उपरान्त प्राप्त हुई है । इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट द्वारा उक्त आराजी खसरा नम्बर 1469 व 1470 कुल रकबा 3.45 हे0 आराजी मृतक हरिशंकर द्वारा उक्त आराजीयात को अपनी स्वयं की आय से 18.9.39 मिसल नम्बर 576 के पुराने खसरा नम्बर 1112 रकबा 19 बीघा 10 बिस्वा आराजी 20/- नीलामी में, क्रय करना बताया । इस कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 5 के नाम जो इन्तकाल खोला गया, वह वैधानिक रूप से खोला जाना बताया है । हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्र0सं0 4/2017 निर्णय दिनांक 3.3.2017 का अवलोकन किया, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पटवारी रिपोर्ट दिनांक 20.2.2017 के अनुसार उक्त विवादित भूमि हरिशंकर की स्वअर्जित सम्पत्ति होना बताया है पर तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपने निर्णय में स्वअर्जित सम्पत्ति का विधिवत परीक्षण नहीं किया है । पारिवारिक समझौता होना अपने निर्णय में बताया गया है किन्तु मृतक खातेदार के अन्य वारिसान को सुना नहीं गया है, ना ही पारिवारिक समझौते के अमल व अन्य वारिसों के समझौते अनुसार मिली आराजी पर अपना कोई अभिमत दिया है । तहसीलदार को मृतक खातेदार के सभी विधिक वारिसान को सुना जाकर अपने स्पष्ट अभिमत के साथ निर्णय पारित करना चाहिए । ऐसी स्थित में सभी वारिसान को सुनकर वसीयत का पैतृक रिकार्ड से परीक्षण कर पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 3.3.2017 एवं इंतकाल नम्बर 1601 ग्राम अरण्डखेड़ा निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वसीयतकर्ता मृतक खातेदार श्री हरिशंकर आत्मज घांसी जाति ब्राह्मण के सभी विधिक वारिसान को सुनकर, वसीयत का पैतृक रिकॉर्ड से परीक्षण करते हुए नवीन निर्णय पारित करें ।

8. निर्णय आज दिनांक 10.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरि मोहन मीना)
जिला कलक्टर कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा

नोटः- न्याया० आज्ञा के प्रा० पत्र सं. 53/22 U/s 152 CPC आदेश दिनांक 7/6/22 के मुताबिक अपील सं. 30/2017 निर्णय दिनांक 10/5/22 में रेस्पो० नं. 1/5 विनोद कुमार आत्मज श्री हरिशंकर जाति ब्राह्मण नि० ग्राम अरण्डखेड़ा का नाम अंकित होने से छूट जाने के कारण संशोधन किया तथा निर्णय दिनांक 10/5/22 में, रेस्पो० नं. 1/5 के रूप में विनोद कुमार आत्मज श्री हरिशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अरण्डखेड़ा तह० लाडपुरा पढ़ा जाने के आदेश किये।